सं. श्रो. वि./अम्बा/38-86/32346.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़, (2) कार्यकारी अभियन्ता (श्रो.पी.डिविजन), हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, कैथल, के श्रमिक श्री रघुबीर सिंह, पुत्र श्री पूरन सिंह गांव गोनड़, डा० माडी, तहसील गुल्हा, जिला कुरुक्षेत्र तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रौद्योगिक विवाद है;

श्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, श्रौद्योगिक, विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3 श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला हैं या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:-

क्या श्री रघुबीर सिंह की सेवा समाप्ति/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

दिनांक 17 अगस्त, 1987

सं.श्रो. वि. पानी./59-87/32661.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. महा प्रबन्धक, हेफेड, तरावड़ी (करनाल), के श्रमिक श्री महाबीर सिंह, पुत्र श्री अमर सिंह, मार्फत श्री एम. एल. चानना, अधिकृत प्रतिनिधि, 38-ए, प्रीतम नगर, करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रौद्योगिक विवाद है ;

श्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, श्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)-84-3 श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री महाबीर सिंह की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर-हाजिर रह कर नौकरी से पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं. श्रो. वि. पानी./95-87/32671.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. मैनेजिंग डायरेक्टर, दी पानीपत कोप्रेटिव शुगर मिल लि., (डिस्टलरी यूनिट), पानीपत, के श्रमिक श्री राम छबीला यादव, पुत्र श्री दीप चन्द, मार्फत सुभाष खट्टर, महा सचिव, इण्टक, 166/3, इसार मोहल्ला, पानीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रौद्योगिक विवाद है ;

श्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, श्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3 श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राम छबीला यादव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. श्रो. वि. पानी./96-87/32679.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. मैनेजिंग डायरेक्टर, दी पानीपत कोपरेटिव शुगर मिल लि., डिस्टलरी यूनिट, पानीपत, के श्रमिक श्री महा सिंह, पुत्र श्री मान सिंह, मार्फत श्री सुभाष खट्टर,

महा सचिव, इण्टक, 166/3, इंसार मौहल्ला, पानीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री महा सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि० /97-87/32686.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० मैनेजिंग डायरेक्टर, दी पानीपत कोप्रेटिव शुगर मिल लि०, डिस्टलरी यूनिट, पानीपत, के श्रमिक श्री झूरी, पुत्र श्री खुरचन, मार्फत सुभाष खट्टर, महा सचिव, इण्टक 166/3, इंसार मौहल्ला, पानीपत, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिये अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3 श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उस से सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री झूरी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि० पानी/98-87/32693.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० मैनेजिंग डायरेक्टर, दी पानीपत कोप्रेटिव शुगर मिल लि० (डिस्टलरी यूनिट), पानीपत, के श्रमिक श्री सतबीर, पुत्र श्री सनेही, मार्फत सुभाष खट्टर, महा सचिव, इण्टक, 166/3, इंसार मोहल्ला, पानीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियो का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3 (44) 84-3श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सतबीर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि० पानी/31-87/32700.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़, (2) कार्यकारी अभियन्ता, सिस्टम इम्प्रूवमेण्ट कन्सट्रक्शन डिविजन, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, करनाल, के श्रमिक श्री ज्ञाना राम, पुत्र श्री अण्डू राम, गांव उपलाना, तह० व जि० करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3श्रम, दिनांक

18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री ज्ञाना राम की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर-हाजिर रह कर नौकरी से पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि० पानी/57–87/32708.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० (1) उपायुक्त, करनाल (2) प्रशासक, नगरपालिका, नीलोखेड़ी, जि० करनाल, के श्रमिक श्री सुभाष चन्द, पुत्र श्री छिनकू राम, निवासी 38–जी, स्कूल बस स्टैंड नगरपालिका नीलोखेड़ी (करनाल) तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है:—

क्या श्री सुभाष चन्द्र की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/गुड़गांव/118-85/32716.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सैक्टर 4, गुड़गांव, के श्रमिक श्री हरी राम, पुत्र श्री नथी सिंह, मार्फत मर्कनटाईल इम्पलाईज एसोसिएशन, एच-347, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली—110060 तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है, न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री हरी राम की सेवासमाप्ति/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/गुड़गांव/119–85/32723.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सैक्टर 4, गुड़गांव, के श्रमिक श्री मंगल सिंह, पुत्र श्री जीत राम मार्फत मर्कनटाईल इम्पलाईज एसोसिएशन, एच-347, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060 तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे निर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सबंधित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं।

क्या श्री मंगल सिंह की सेवा समाप्ति/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?